

भारत सरकार  
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 464  
03 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

### विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना

464. श्री राहुल सिंह लोधी:  
श्रीमती कमलेश जांगड़े:  
श्री पी. सी. मोहन:  
श्री काली चरण सिंह:  
श्री लुम्बाराम चौधरी:  
श्री बंटी विवेक साहू:  
श्री जनार्दन मिश्रा:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के आरंभ होने के बाद से घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है और कर्नाटक राज्य के बेंगलुरू क्षेत्र सहित ऐसे इकाइयों के योगदान के साथ-साथ उत्पादन स्तर का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या योजना के तहत कर्नाटक सहित देश में लाभार्थी इकाइयों को निधि जारी की गई है और यदि हां, तो दिसंबर 2025 तक वितरित की गई कुल राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने देश में कर्नाटक और बेंगलुरू तथा उसके आसपास की लाभार्थी कंपनियों द्वारा प्रोत्साहनों के उपयोग और निवेश तथा उत्पादन लक्ष्यों के अनुपालन की समीक्षा की है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) यदि हां, तो ऐसी समीक्षाओं के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और कर्नाटक सहित देश में कार्यान्वयन को और मजबूत करने तथा उन्नत इस्पात विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ङ) क्या सरकार के पास मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पीएलआई योजना के तहत विशेष इस्पात से संबंधित नए निवेश, इकाइयों की स्थापना, रोजगार सृजन या मूल्यवर्धन गतिविधियों को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

### उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ङ): विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को सरकार द्वारा विशेष इस्पात उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु अनुमोदित किया गया है और यह निर्दिष्ट निवेश एवं उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने वाली कंपनियों को वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के दौरान पाँच वर्षों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। योजना के दो चरणों में, भाग लेने वाली कंपनियों के संयंत्र आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित हैं।

जारी.....2/

:2:

दिसंबर 2025 तक, लाभार्थी कंपनियों को ₹83.62 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई थी।

वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत विशेष इस्पात का उत्पादन क्रमशः 313 ('000 टन), 1124 ('000 टन) और 1110 ('000 टन) है।

पीएलआई योजना के अंतर्गत निवेश और उत्पादन के संबंध में सभी परियोजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। देश में उन्नत इस्पात विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए, दिनांक 04 नवंबर, 2025 को तीसरा चरण (पीएलआई 1.2) शुरू किया गया था।

\*\*\*\*\*